संख्या-10/2018/349/क0नि0प्र0/26-3-2018-20(59)/2000

प्रेषक,

**सुधा श्रीवास्तव,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

**कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,** **लखनऊः दिनांकः 21 मार्च,2018**
**समाज कल्याण विभाग**

**विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत अतिरिक्त लक्ष्यों के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति वर्ष 2017-18**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपदवार निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के अतिरिक्त जनपद महाराजगंज को 600, जनपद बस्ती को 700, तथा बहराइच को 900, अर्थात् कुल 2200 भौतिक लक्ष्य आवंटित करते हुए प्रति बोरिंग रू0 10000/- की निर्धारित लागत के आधार पर अतिरिक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कुल रू0 2,20,00,000/- (रू0 दो करोड़ बीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर व्यय किये जाने हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि उल्लिखित जनपदों को निर्धारित किये गये अतिरिक्त भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष रू0 10000/- प्रति बोरिंग के आधार पर तत्काल आवंटन किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय एस.सी.एस.पी. हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में वित्तीय संस्थानों में सावधि जमा के

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रूप में नहीं रखी जायेगी। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- प्रश्नगत जनपदों को निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्व आवंटित/अब आवंटित की जा रही धनराशि को जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था का इस शर्त के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि वह आगामी 04 माह में बोरिंग कार्य पूर्ण कराकर धनराशि के व्यय/उपभोग प्रमाण पत्र शासन एवं निदेशालय समाज कल्याण को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4- यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत धनराशि का प्रदेशन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है जिसे करने हेतु बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्बुक के नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। अतः ऐसी स्वीकृतियां जहां आवश्यक हो व्यय करने से पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराये जायेगें। इस अनुदान के उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के नियम लागू होगें।

6- निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत सत्यापनकर्ता विभागीय अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह कार्यदायी संस्था को नियमानुसार भुगतान करने से पूर्व लाभार्थी के विवरण के साथ उसका आधार फीडिंग अनिवार्य रूप से करा लें, ताकि बोगस अथवा पुनरावृत्ति बोरिंग की संभावना न हो।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या–83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक- "2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0108-परिसम्पत्ति निर्माण की अन्य योजनाओं की लागत में केन्द्रीय सहायता से अंशदान(के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामें डाला

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-09 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नः- यथोक्त।

भवदीया,

सुधा श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

संख्या-10/2018/349(1)/क0नि0प्र0/26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य विकास अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) जनपद-बस्ती, बहराइच एवं महाराजगंज।
6- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- एन0आई0सी0 की प्रति।
8- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधा श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–बी0एम0–9(पार्ट–1)

पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ– बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या– व नाम– 83 व अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2017–18 (धनराशि लाख रूपये में)

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संकमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संकमण के पश्चात् अवशेष अनुदान/ विनियोग (2–5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण– 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0105–अनुसूचित जाति के युवकों के लाभार्थ विविध प्रशिक्षण योजनायें (के.100/रा.0–के.) –20–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)– | 6500.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 6280.00 |
| योग | **6500.00** | **220.00** | **220.00** | **220.00** | **6280.00** |

| निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि | संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान /विनियोग(8+10) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0108–परिसम्पत्ति निर्माण की अन्य योजनाओं की लागत में केन्द्रीय सहायता से अंशदान (के.100/रा.0–के.) –20–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)– | 1200.00 | 1420.00 | 220.00 | 220.00 | 1420.00 |
| **योग** | **1200.00** | **1420.00** | **220.00** | **220.00** | **1420.00** |

1.स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक की मानक मद में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।

2.स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:–योजनान्तर्गत लक्ष्यों की पूर्ति किये जाने के कारण।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोजन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर.ई. 550 /दस–2018 दि0 21, मार्च,2018

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–1012018/349 (11)/क0नि0प्र0/26–3–2018–दिनांक 21 मार्च, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1– महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0इलाहाबाद।
2– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,महानगर,लखनऊ।
5– वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)/वित्त(वित्त नियंन्त्रण) अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन।
7– समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ,उ0प्र0 शासन।
8– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर।

आज्ञा से,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।